क्र०सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	उत्तर का सारांश
6.	हरियाणा	सरकार ने आरक्षण नीति के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के बीच सम्पन्न वर्ग के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है। सरकार ने अन्य पिछड़ी वर्गों के बीच सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/समूहों को हटाने के लिए अपने स्वयं के मानदण्ड निर्धारित की हैं।
7.	गोवा	इस सरकर ने, जैसा कि भारत सरकार ने निर्धारित किया है, पहले ही, "क्रीमी लेयर" के लिए वही प्रक्रिया अपनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
8.	महाराष्ट्र	सम्पन्न वर्ग के बारे में महाराष्ट्र ने कोई सुझाव तथा विचार नहीं दि हैं, यद्यपि राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सम्पन्न वर्ग के लिए कुछ नगण्य परिवर्तनों के साथ वहीं प्रक्रिया अपना रही है।
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के बीच सम्पन्न वर्ग से सम्बंधित भारत सरकार की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।
10.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	जहां तक इस संघ राज्य क्षेत्र का सम्बन्ध है, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित नहीं की गई है। तथापि, अण्डमान तथा निकोबार पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक स्थायी निकाय का गठन किया गया है तथा प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान का कार्य आरम्भ कर दिया है।
11.	त्रिपुरा	जहां तक त्रिपुरा राज्य का सम्बंध है, आरक्षण नीति से सम्बंधित अन्य पिछड़े वर्गों के बीच सम्पन्न वर्ग के बारे में सुझाव तथा विचार अभी प्राप्त होने हैं। लेकिन भारत सरकार सम्पन्न वर्ग के मानदण्ड का अनुसरण राज्य सरकार करती है।

उपेक्षित और निराश्रित बच्चों का कल्याण

2390. **श्री अजीत जोगी:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपेक्षित और निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिये निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इनमें कितनी सफलता मिली है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई और इसमें से कितनी धनराशि की उपयोग किया गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) कल्याण मंत्रालय के पास उपेक्षत तथा निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए दो विशिष्ट योजनाएं हैं। किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण तथा नियंत्रण की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रेक्षण गृहों, किशोर गृहों, विशेष गृहों तथा उत्तरवर्ती देखभाल की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों को निराश्रितता, उपेक्षा, दुरूपयोग तथा शोषण का सामना कर रहे बेसहारा बच्चों की देखभाल सुरक्षा के लिए समेकित समुदाय आधारित गैर सांस्थानिक आधारभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना लागत के 90% तक की सहायता प्रदान की जाती है। दोनों योजनाओं के अंतर्गत कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है।

(ख) और (ग) किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण तथा नियंत्रण की योजना के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । जहां तक बेसहारा बच्चों के कल्याण का संबंध है भाग लेने वाले गैर सरकारी संगठनों को सीधे सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे क्रमशः विवरण- I तथा II पर दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)** नौवीं योजना अवधि के दौरान इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत कवरेज का और आगे विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94 से वर्ष 1995-96 की अवधि के लिए किशोर सामाजिक कुसंमजन तथा नियंत्रण के योजना के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान (राज्यवार) दर्शाने वाला विवरण।

(रु० लाख में)

क्र०सं०	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1.	असम	10.47	10.00	1.63
2.	गोवा	27.99	—	0.81
3.	गुजरात	—	7.93	—
4.	हरियाणा	1.32	4.83	—
5.	केरल	—	28.18	8.49
6.	मध्य प्रदेश	—	100.71	—
7.	मेघालय	1.02	2.78	2.81
8.	मिजोरम	0.48	26.68	2.87
9.	नागालैंड	1.41	3.89	2.59
10.	उड़ीसा	0.55	1.61	—
11.	पंजाब	23.58	15.65	3.20
12.	राजस्थान	1.97	2.23	—
13.	सिक्किम	0.21	—	—
14.	तमिलनाडु	—	—	0.77
15.	उत्तर प्रदेश	—	45.15	—
16.	पश्चिम बंगला	41.61	50.38	46.76
	कुलः	110.61	300.02	69.93

विवरण-II

वर्ष 1993-94 से वर्ष 1995-96 की अवधि के लिए बेसहारा बच्चों के लिए कल्याण की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान (राज्यवार) दर्शाने वाला विवरण।

(रु० लाख में)

क्र०सं०	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.62	22.17	21.08
2.	असम	—	3.08	3.46
3.	गुजरात	8.05	22.92	25.04
4.	कर्नाटक	6.44	22.09	17.06
5.	केरल	—	1.85	3.37
6.	मध्य प्रदेश	—	9.23	16.38
7.	महाराष्ट्र	17.11	44.42	20.09
8.	मणिपुर	—	5.54	3.70
9.	मिजोरम	—	1.23	—
10.	उड़ीसा	—	1.23	6.76
11.	राजस्थान	—	2.47	6.78
12.	तमिलनाडु	20.65	42.37	19.04
13.	उत्तर प्रदेश	12.33	22.65	14.80
14.	पश्चिम बंगाल	27.72	76.96	91.96
15.	दिल्ली	18.22	23.53	34.96
	कुलः	111.14	301.74	284.48

अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा, आर्थिक उत्थान के सम्बन्ध में आकलन

2391. **श्री इकबाल सिंहः क्या कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों की शिक्षा और उनके आर्थिक उत्थान और सरकारी नौकरियों में उनकी प्रतिशतता के संबंध में कोई आकलन अथवा समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के उत्थान के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रभावी और ठोस उपाय किये जा रहे हैं?